कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, एवं जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला–नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष नं0–07781–299218 (email id : rmsa.narayan@gmail.com

क्रमांक/31 /समग्र शिक्षा /स्था0/समावेशी शिक्षा/2022–23 नारायणपुर, दिनांक 19/01/2023

// वॉक–इन–इन्टरव्यू की सूचना//

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र.1087/SS/24/14/सेकेंडरी 2021–21 रायपुर दिनांक 04.07.2021 के द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित हैं, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की एक निश्चित मानदेय पर स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। नीचे दर्शित रिक्त पदों पर अस्थाई (03 माह) नियुक्ति हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू का आयोजन दिनांक **30.01.2023** से पूर्वान्ह 10:30 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर के सभा कक्ष में आयोजित किया जावेगा।

इच्छुक अभ्यार्थी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर मूल प्रमाण पत्र व अभिलेखों तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय में वॉक–इन–इन्टरव्यू स्थल में उपस्थित होवें। स्पीड पोस्ट,रजिस्टर डाक, साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का वर्गवार निम्नानुसार हैं :–

क्र.	विकासखण्ड	पदनाम	पद संख्या	निर्धारित मानदेय (एकमुश्त प्रतिमाह)	शैक्षणिक अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
1	नारायणपुर	स्पेशल एजुकेटर	01	20000/–	स्नाकोत्तर के साथ बी.एड (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित) में।

जिसे नारायणपुर जिले के वेबसाईट **www.narayanpur.gov.in** में देखा जा सकता है।

<u>नियम एवं शर्तें :–</u>

- उम्मीद्वारों को भारत सारकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों का वॉक–इन–इन्टरव्यू दिनांक **30.01.2023** को लिया जावेगा।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्र को स्व–प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।
- वॉक–इन–इन्टरव्यू के लिए जारी विज्ञापन दिनांक तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएं ही मान्य होगी।
- रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- छ0ग0 के मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

- आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र में शासन के नियामानुसार छुट का प्रवधान होगा।
- स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति 03 माह के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि आगामी माह के लिए निरन्तर रखे जाने पर विचार किया जा सकता हैं।
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य हैं।
- निर्धारित तिथि दिनांक **30.01.2023** से आयोजित वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से रिक्त पद की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में पुनः पृथक से नवीन वॉक–इन–इन्टव्यू का आयोजन किया जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से एन.आई.सी. वेब पोर्टल पर जारी की जावेगी एवं इस हेतु प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जावेगी।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीद्वार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी। और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वयं समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीद्वार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20,000/– (अक्षरी बीस हजार रू. मात्र) प्रति माह दिया जावेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

<u>स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :–</u>

1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगवार डाटा रखना।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
4. इन बच्चों के पालकों को समय–समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे – छात्रवृत्ति,सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट–ट्रांसपोर्ट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यवृत्ति आदि।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से सम्पर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना जिससे बच्चें में कितना परिवर्तन हो रहा हैं, उसका मूल्यांकन कर सके।
9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहि करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्क्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयार करना।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपा बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना।

13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकुल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
15. जनभागीदारी समिति (SMS/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हे थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हे विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना/सहयोग देना।
17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिये प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला/जनभागीदारी समिति/पालक को देना।
18. सामन्य शिक्षकों को ब्रेल–लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सत्त संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
21. इसके अतिरिक्त समय–समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर छ0ग0
नारायणपुर, दिनांक 19/01/2023

पृ0क्र0/32/समग्र शिक्षा /स्था0/समावेशी शिक्षा/2022–23

1. कलेक्टर ,जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (NIC) नारायणपुर को सुचनार्थ कर उपरोक्त विज्ञाप्ति को छ0ग0शासन (cg.gov.in) एवं www.narayanpur.gov.in के वेबसाईट में अपलोड कर एक स्क्रीनशॉट की प्रति सहित अपलोड किये जाने की जानकारी लेख करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करगें।
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख हैं कि दैनिक पत्रिका में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर छ0ग0